5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(118)

नि0 3648-PBR-16

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक पी.बी.आर. / 2016 निगरानी

1. कुंज बिहारी पिता श्री सत्यनारायणजी कुशवाह, आयु 29 वर्ष, व्यवसाय कृषि,

2. दयावंती पुत्री श्री मोतीलाल पत्नी श्री सत्यनारायणजी कुशवाह, आयु 60 वर्ष, व्यवसाय कृषि,

निवासीगण– काछी मौहल्ला, मनासा जिला नीमच (म.प्र.)

दिनांक 20.10.16 को श्री ए० के० अग्रवाल अभि० द्वारा प्रस्तुत। 20.10.16

341 20.10.16

20.10.16 K. Agrawal Ad

................आवेदकगण

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, जिला नीमच (म.प्र.)

2– एस.डी.ओ. महोदय, मनासा जिला नीमच (म.प्र.)

3– तहसीलदार महोदय, तहसील मनासा जिला नीमच (म.प्र)

4– गोविंद पिता श्री भंवरलाल, निवासी मनासा जिला नीमच

5– पंकज पिता श्री रमेश चन्द्र सोनी निवासी मनासा जिला नीमच (म.प्र.)

.............अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध निगरानी प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 20 / –74 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2016

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3648–पीबीआर / 16 **जिला** नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–10–2017	आवेदकगण की ओर से श्री ए.के. अग्रवाल, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 से 3 शासन की ओर से श्री आर.पी. पालीवाल, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 4 एवं 5 की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में दिनांक 31–7–17 को अन्तिम आदेश पारित किया जा चुका है । अतः ऐसी स्थिति में अब प्रकरण तहसीलदार, मनासा के न्यायालय से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध सम्बन्धित पक्ष को अपील का अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन एवं औचित्यहीन होने से निरस्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	